CMYK

Website : www.highwaychannel.in

छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्रसारित शाम का अखबार

हाईवे चैनल

वर्ष- 28 ◻ अंक- 113 ◻ रायपुर, रविवार 18 मई 2025 ◻ पृष्ठ-8 ◻ मूल्य- 2.50 रुपया ● रायपुर ● जगदलपुर से प्रकाशित RNI रजिस्ट्रेशन नं. 68139/98

हैदराबाद के गुलजार हाउस में भीषण आग

8 बच्चों समेत एक ही परिवार के 17 लोगों की मौत

नई दिल्ली, 18 मई (न्यूज चैनल)। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में ऐतिहासिक चारमीनार के पास गुलजार हाउस में रविवार को एक इमारत में लगी भीषण आग लग गई। हादसे में आठ बच्चों समेत 17 लोगों की मौत हो गई। हालांकि, आग के कारणों को लेकर शॉर्ट सर्किट की बात सामने आ रही है। हालांकि, मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। एक निजी अस्पताल के वरिष्ठ अधिकारी ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि 17 लोगों को मृत अवस्था में लाया गया था।

अग्निशमन विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक, उन्हें सुबह करीब 6.30 बजे एक कॉल के जरिए घटना के बारे में बताया गया। वे मौके पर पहुंचे। कई लोग बेहोश पाए गए और उन्हें विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया।

परिवहन और हैदराबाद जिले के प्रभारी मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने संवाददाताओं को बताया कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी। उन्होंने घटनास्थल का दौरा किया। मंत्री ने बताया कि इमारत में रहने वाले 17 लोगों को अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। ऐसी खबरें हैं कि उनमें से अधिकांश की मौत हो गई है। जानमाल का नुकसान हुआ है। हम आग दुर्घटना की जांच का आदेश देंगे। इसमें कोई साजिश का पहलू नहीं है। इमारत में कुल चार परिवार रह रहे थे, जो एक-दूसरे के संबंधी थे।

मुख्यमंत्री ने घटना पर दुख जताया

इससे पहले मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने घटना पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को इमारत में फंसे लोगों को बचाने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि बचाव अभियान में कोई लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए।

शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी

सुप्रिया-निशिकांत समेत 17 सांसद संसद रत्न से होंगे सम्मानित

नई दिल्ली, 18 मई (न्यूज चैनल)। संसद में उल्लेखनीय योगदान देने वाले 17 सांसदों और 2 संसदीय स्थायी समितियों को संसद रत्न पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। ये पुरस्कार संसद में सक्रियता, बहस में भागीदारी, प्रश्न पूछने और विधायी कामकाज में योगदान के आधार पर दिए जाते हैं। यह पुरस्कार प्राइम प्वाइंट फाउंडेशन की तरफ से शुरू किया गया है। इस वर्ष के विजेताओं का चयन जूरी कमेटी ने किया, जिसकी अध्यक्षता हंसराज अहीर, (राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष) ने की। उन्होंने कहा कि ये पुरस्कार उन सांसदों को दिए जाते हैं जिन्होंने लोकतंत्र को मजबूती देने के लिए संसद में उत्कृष्ट योगदान दिया है।

क्या है संसद रत्न पुरस्कार?

संसद रत्न पुरस्कार की शुरुआत 2010 में हुई थी और यह पुरस्कार उन सांसदों को दिए जाते हैं जो पारदर्शिता, जवाबदेही और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूती देने के लिए संसद में सक्रिय रहते हैं। इसका उद्देश्य सांसदों को प्रोत्साहित करना और जनता के बीच संसदीय कार्यवाही को लोकप्रिय बनाना है।

लगातार उत्कृष्ट कार्य के लिए- चार सांसदों को विशेष सम्मान

चार सांसदों को संसदीय लोकतंत्र में उत्कृष्ट और सतत योगदान के लिए विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा। प्राइम प्वाइंट फाउंडेशन के अनुसार, ये चारों सांसद 16वीं और 17वीं लोकसभा में भी संसद में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों में शामिल रहे हैं और अपनी मौजूदा कार्यकाल में भी लगातार सक्रिय हैं। इन सांसदों में भर्तृहरि महताब (भाजपा), सुप्रिया सुले (एनसीपी-एसपी), एन. के. प्रेमचंद्रन (आरएसपी) और श्रीरंग अप्पा बारणे (शिवसेना) शामिल हैं।

13 सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार

बाकी 13 सांसदों को भी उनके विशिष्ट संसदीय कार्यों के लिए चुना गया है। इनमें कई राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल हैं। इन सांसदों ने संसद में प्रश्न पूछने, चर्चा में भाग लेने और विधेयकों पर सुझाव देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्मिता वाघ (भाजपा), अरविंद सावंत (शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट), नरेश गणपत म्हास्के (शिवसेना), वर्षा गायकवाड़ (कांग्रेस), मेधा कुलकर्णी (भाजपा), प्रवीण पटेल (भाजपा), रवि किशन (भाजपा), निशिकांत दुबे (भाजपा), बिद्युत बारन महतो (भाजपा), पी. पी. चौधरी (भाजपा), मदन राठौर (भाजपा), सी. एन. अन्नादुरै (डीएमके) और दिलीप सैकिया (भाजपा) शामिल हैं।

दो संसदीय समितियों को भी मिला सम्मान

इस वर्ष दो संसदीय स्थायी समितियों को भी संसद रत्न पुरस्कार से नवाजा जाएगा। इनमें वित्त पर स्थायी समिति अध्यक्ष- भर्तृहरि महताब। इस समिति ने वित्तीय नीतियों पर कई प्रभावशाली और व्यावहारिक रिपोर्टें संसद में प्रस्तुत की हैं। और कृषि पर स्थायी समिति अध्यक्ष- चरणजीत सिंह चन्नी (कांग्रेस)। इस समिति ने किसानों की समस्याओं और कृषि सुधारों पर ठोस सुझाव संसद में रखे हैं।

ब्रेकिंग न्यूज

इसरो का 101वां मिशन अधूरा, पीएसएलवी सी-61 में तकनीकी आई खराबी

नई दिल्ली, 18 मई (न्यूज चैनल)। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने अपने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (पीएसएलवी) रॉकेट के माध्यम से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह (ईओएस-09) को अंतरिक्ष में भेजने का प्रयास किया। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित अंतरिक्ष केंद्र के प्रथम लॉन्च पैड से सुबह पांच बजकर 59 मिनट पर यान को प्रक्षेपित किया गया। लेकिन, तकनीकी खामी के कारण उपग्रह को कक्षा में स्थापित नहीं किया जा सका।

अमेरिका में भीषण तूफान के कारण 27 लोगों की मौत

नई दिल्ली, 18 मई (न्यूज चैनल)। अमेरिका के समूचे मध्य-पश्चिम और दक्षिण भाग में तूफान के कारण कम से कम 27 लोगों की मौत हो गई है। इनमें से 18 लोगों की मौत केंटुकी में आए बवंडर के कारण हुई। केंटुकी के गवर्नर एंडी बेशियर ने शनिवार को बताया कि उनके राज्य में 18 लोगों की मौत हुई तथा 10 अन्य को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। केंटुकी में आए विनाशकारी तूफान ने मकानों एवं वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया तथा अनेक लोगों को बेघर कर दिया। बेशियर ने बताया कि राज्य की दो दर्जन सड़कों के कुछ हिस्से बंद कर दिए गए हैं और कुछ को फिर से खोलने में कई दिन लग सकते हैं। उन्होंने कहा कि मृतक संख्या बढ़ने की आशंका है। मिसौरी में भी कई लोगों की मौत हुई है।

मिसौरी के सेंट लुईस की मेयर कारा स्पेंसर ने बताया कि उनके शहर में पांच लोगों की मौत हो गई, 38 लोग घायल हो गए और 5,000 से अधिक मकान प्रभावित हुए। ये तूफान शुक्रवार को आई भीषण मौसम प्रणाली का हिस्सा थे जिसके कारण विस्कॉन्सिन में बवंडर आया, ग्रेट लेक्स क्षेत्र में लाखों लोगों को बिजली के बिना रहना पड़ा तथा टेक्सास में भीषण गर्म हवाएं चलीं। शुक्रवार अपराह्न आए तूफान के कारण इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं, पेड़ एवं बिजली के खंभे गिर गए।

आबकारी घोटाला मामले में सरकार ने दी 21 आबकारी अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन की अनुमति

रायपुर, 18 मई (हाईवे चैनल)। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले की जांच के बीच सरकार ने एक अहम फैसला लिया है. राज्य सरकार ने इस घोटाले में संलिप्त 21 आबकारी अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति दे दी है, जिससे अब उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है.

ईओडब्ल्यू ने एफआईआर में कुल 36 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिनमें तत्कालीन एडिशनल डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, जिला आबकारी अधिकारी और ईस्पेक्टर रैंक के अधिकारी शामिल हैं. जांच के दौरान ब्यूरो ने कई अधिकारियों से लंबी पूछताछ की है. अब अभियोजन की स्वीकृति के बाद इन अधिकारियों की जल्द गिरफ्तारी की संभावना जताई जा रही है. गौरतलब है कि इस घोटाले में कई राजनेता, पूर्व आईएसए अधिकारी और कारोबारी पहले ही जेल भेजे जा चुके हैं. शासन से मिली मंजूरी के बाद ईओडब्ल्यू द्वारा शनिवार को राज्यभर में 13 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी, जिससे जुड़े दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक सबूत जब्त किए गए हैं. जांच एजेंसी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आगे की कार्रवाई तेज कर दी है.

आईआईटी मुंबई ने तुर्किये के संस्थानों के साथ समझौते निलंबित किए गए

नई दिल्ली, 18 मई (न्यूज चैनल)। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) मुंबई ने तुर्किये के विश्वविद्यालयों के साथ सभी समझौतों को निलंबित कर दिया है। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य बढ़े तनाव के बीच तुर्किये द्वारा पाकिस्तान को समर्थन दिए जाने के बाद यह कदम उठाया गया है।

संस्थान ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर 'पोस्ट' किया, ''तुर्किये को लेकर मौजूदा भू-राजनीतिक स्थिति को देखते हुए आईआईटी मुंबई तुर्किये के विश्वविद्यालयों के साथ अपने समझौतों को अगला नोटिस जारी किए जाने तक निलंबित करने की प्रक्रिया में है।'' आईआईटी मुंबई और कुछ तुर्किये संस्थानों के बीच संकाय विनिमय कार्यक्रम (फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम) को लेकर समझौता था। यह घटनाक्रम ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्किये द्वारा पाकिस्तान को दिए गए समर्थन के मद्देनजर सामने आया है। इससे पहले, आईआईटी रुड़की ने तुर्किये के इनोनू विश्वविद्यालय के साथ किया गया एक समझौता औपचारिक रूप से रद्द कर दिया था। आईआईटी रुड़की ने 'एक्स' पर लिखा था, ''संस्थान वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है जो इसकी शैक्षणिक प्राथमिकताओं को प्रतिबिंबित करता है और राष्ट्रीय हित को बनाए रखता है।'' निजी संस्थानों जैसे चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने भी तुर्किये और अजरबैजान के 23 विश्वविद्यालयों के साथ अपने अकादमिक सहयोग को समाप्त कर दिया है।

18 किलो गांजे के साथ पति-पत्नी गिरफ्तार

रायपुर, 18 मई (हाईवे चैनल)। राजधानी रायपुर में पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई हुए सफलता हासिल की है. गंज पुलिस ने गांजा तस्करी करते हुए पति-पत्नी को दबोचा है.

इनके पास से 18 किलों गांजा बरामद किया गया है.

जानकारी के मुताबिक, पकड़े गए आरोपी जावेश शेख और पत्नी शबनम आरा शेख ओड़िशा के सुंदरगढ़ जिले के निवासी हैं. दोनों आरोपी पति पत्नी गांजे को विदिशा मध्यप्रदेश लेकर रहे थे. इसी दौरान पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस को बरामद गांजा की कीमत 2 लाख रुपए आंकी गई है. दोनों आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने धारा 20बी नारकोटिक एक्ट का अपराध दर्ज किया है।

बाइक और हार्वेस्टर में भिड़ंत 3 युवकों की मौके पर ही मौत

सक्ती, 18 मई (हाईवे चैनल)। जिले के मालखरौदा थाना क्षेत्र में बाइक और हार्वेस्टर में भिड़ंत होने से मोटरसाइकिल सवार तीन युवकों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई. यह घटना मालखरौदा से जैजैपुर मुख्य मार्ग पर मिशन पेट्रोल पंप के पास शनिवार की रात को हुई. हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है. बाइक सवार तीनों मृतक ग्राम सतगढ़ निवासी बताए जा रहे हैं. हादसे की सूचना मिलते ही गांव में मातम पसर गया है. पुलिस शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर घटना की जांच कर रही.

तांत्रिक बुजुर्ग की हत्या, दो भाई गिरफ्तार

दंतेवाड़ा, 18 मई (हाईवे चैनल)। जिले में जादू-टोने के शक में एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग घर के आंगन में सोया हुआ था। इसी बीच दो युवक घर पहुंचे और उन्होंने कुल्हाड़ी से बुजुर्ग पर वार कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला कटेकल्याण थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक, 15 मई को मारजुम गांव के रहने वाले बोड्डू पोडियामी ने कटेकल्याण थाना में हत्या की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इसने पुलिस को बताया था कि 14 मई की रात मारजूम के जंगलपारा में स्थित अपने घर के आंगन में सो रहा था। पास में ही पिता भी सोए हुए थे। इसी बीच रात करीब 11 बजे गांव के ही रहने वाले गुड्डी मुचाकी और नंदू मुचाकी घर पहुंच गए।

उन्होंने उसके पिता हिड़मा पोड़ियामी पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। उनके सिर समेत शरीर के अन्य अंगों में वार किया गया। जिससे उनकी मौत हो गई। वारदात के बाद दोनों मौके से फरार हो गए थे। युवक ने पुलिस को बताया कि जादू-टोन के शक में हत्या हुई है। इससे पहले भी इसी बात पर पिता से झगड़ा करते रहते थे। वहीं पुलिस ने झड़क दर्ज की। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया था। जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। वहीं दोनों आरोपियों को गांव से ही पकड़कर लाया गया। जिन्हें कोर्ट में पेशकर जेल भेज दिया गया है। उनके पास से हत्या में उपयुक्त कुल्हाड़ी भी बरामद की गई है।

तलाक की वजह महिला की गंदी नीयत भरण-पोषण पाने का हक़दार नहीं : हाईकोर्ट

बिलासपुर, 18 मई (हाईवे चैनल)। हाई कोर्ट ने पत्नी के विवाहेतर संबंध व व्यभिचार में रहने के आधार पर परिवार न्यायालय से तलाक की डिक्री पारित होने पर अपने आदेश में कहा है कि यदि कोई महिला व्यभिचार में रह रही है, तो तलाक के बाद महिला पति से भरण पोषण लेने की हकदार नहीं हो सकती. इसके साथ कोर्ट ने परिवार न्यायालय द्वारा 4000 रूपये भरण पोषण राशि देने के आदेश को निरस्त कर दिया है. दरअसल, रायपुर निवासी याचिकाकर्ता की हिन्दू रिवाज से 2019 में शादी हुई. कुछ दिन बाद पत्नी ने पति पर मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुएमार्च 2021 में ससुराल छोड़कर अपने भाई के घर चली गई. इसके बाद पति ने परिवार न्यायालय में तलाक का आवेदन लगाया तो वहीं पत्नी ने पति से भरण पोषण प्राप्त करने कोर्ट में वाद प्रस्तुत किया. पत्नी ने आवेदन में कहा कि पति उसके साथ क्रूरता करता है, मानसिक रूप से प्रताड़ित कर चरित्र पर शंका करता है. इसके कारण वह घर छोड़कर अपने भाई के पास चली गई है. इधर पति ने अपने आवेदन में कहा कि पत्नी का उसके छोटे भाई से विवाहेतर संबंध है. उसने पकड़ा और मना किया, तो लड़ाई करते हुए झूठे मुकदमें फंसाने धमकी दी, और कुछ आपराधिक प्रकरण दर्ज भी कराई है. साथ ही पत्नी का अपने से कम उम्र के लड़कों के साथ संबंध है.

पत्नी के व्यभिचारी होने परिवार न्यायालय में साक्ष्य पेश किया गया. मामले की सुनवाई के दौरान पत्नी ने भी यह स्वीकार किया, कि वह पति के कारण व्यभिचार में है. रायपुर परिवार न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद व्यभिचार के आधार पर पति के पक्ष में तलाक का आदेश पारित किया, वहीं पत्नी के आवेदन को आंशिक रूप से स्वीकार कर पति को प्रतिमाह 4000 रुपए भरण पोषण देने का आदेश दिया.परिवार न्यायालय के आदेश के खिलाफ पति-पत्नी दोनों ने हाईकोर्ट में अलग अलग आपराधिक समीक्षा याचिका लगाई. पत्नी ने पति के डाटा इंट्री आपरेटर के पद में काम करने 35000 मासिक आय, किराया का आय, कृषि आय आदि की गणना कर 10 लाख रुपए एकमुश्त दिलाने या 20000 रुपए प्रतिमाह दिलाने की मांग की थी. पति ने याचिका में पत्नी के व्यभिचार में रहने के कारण परिवार न्यायालय के भरण पोषण राशि दिए जाने के आदेश को निरस्त करने की मांग की. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, यह डिक्री दावे के सबूत के आधार पर पारित की गई डिक्री है. इस न्यायालय का यह मत है कि दी गई डिक्री पारिवारिक न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश स्पष्ट रूप से यह साबित करता है कि आवेदक-पत्नी व्यभिचार में है, इसलिए आवेदक-पत्नी याचिकाकर्ता से भरण-पोषण का दावा करने में अयोग्य है. हाईकोर्ट ने पति की याचिका को स्वीकार कर पत्नी की ओर से प्रस्तुत याचिका को खारिज कर दिया है.

बिरादरी की बात

चूहा- सुनती हो, मुंबई के हवाई अड्डे में एक यात्री के चप्पल से निकला चार करोड़ का सोना।

चुहिया- हां जी, उसका घर फिर से सोने की लंका जैसा होगा।